क्रम-संख्या-392

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी०/एल०-डब्लू०/एन०पी०–91/2008–10

लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–I, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, शुक्रवार, 29 अगस्त, 2008

भाद्रपद 7, 1930 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग–1

संख्या 1723/79-वि-1–08-1(क)-21-2008

लखनऊ, 29 अगस्त, 2008

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश वन निगम (संशोधन) विधेयक, 2008 पर दिनांक 28 अगस्त, 2008 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 24 सन् 2008 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है ।

उत्तर प्रदेश वन निगम (संशोधन) अधिनियम, 2008

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 24 सन् 2008)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश वन निगम अधिनियम, 1974 को संशोधित करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के उनसठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

संक्षिप्त नाम

1-यह अधिनियम उत्तर प्रदेश वन निगम (संशोधन) अधिनियम, 2008 कहा जाएगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 4 सन् 1975 की धारा 23 का संशोधन

2-(1) उत्तर प्रदेश वन निगम अधिनियम, 1974 की धारा 23 में, उपधारा (2), (3) और (4) के स्थान पर निम्नलिखित उपधाराएं रख दी जायेंगी, अर्थात् :-

"(2) निगम के लेखें प्रतिवर्ष भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी भी व्यक्ति द्वारा परीक्षित किये जायेंगे और ऐसी लेखापरीक्षा के सम्बन्ध में उसके द्वारा उपगत कोई व्यय निगम द्वारा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी भी व्यक्ति को देय होगा।

(3) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक अथवा निगम के लेखों की लेखापरीक्षा करने के सम्बन्ध में उसके द्वारा प्राधिकृत किसी भी व्यक्ति को ऐसी लेखापरीक्षा के सम्बन्ध में वही अधिकार, विशेपाधिकार तथा प्राधिकार होंगे जो किसी संगठंन के लेखों की लेखापरीक्षा के सम्बन्ध में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के होते हैं और विशिष्टतया, उसे बहियाँ, लेखे, सम्बद्ध वाउचर तथा अन्य दस्तावेजों और पत्रादि प्रस्तुत किये जाने की मांग करने तथा निगम के कार्यालय का निरीक्षण करने का अधिकार होगा।

(4) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक अथवा उसके द्वारा एतदर्थ प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा यथाप्रमाणित निगम के लेखें तद्विपयक लेखापरीक्षा रिपोर्ट सहित राज्य सरकार को प्रतिवर्ष भेजे जायेंगे।"

उद्देश्य और कारण

राज्य में वनों के अपेक्षाकृत अच्छे परिरक्षण, पर्यवेक्षण तथा विकास और वन उपज के अपेक्षाकृत अच्छे विदोहन के लिए एक निगम स्थापित करने की व्यवस्था करने के लिए उत्तर प्रदेश वन निगम अधिनियम, 1974 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 4 सन् 1975) बनाया गया है। उक्त अधिनियम की धारा 23 में यह व्यवस्था है कि निगम के लेखे प्रतिवर्ष परीक्षक, स्थानीय निधि लेखा द्वारा परीक्षित किये जाएंगे और ऐसी लेखा परीक्षा के संवंध में उसके द्वारा उपगत कोई व्यय, निगम द्वारा परीक्षक, स्थानीय निधि लेखा को देय होगा। अपेक्षाकृत अच्छा वित्तीय प्रशासन सुनिश्चित करने की दृष्टि से यह व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए उक्त अधिनियम को संशोधित करने का विनिश्चय किया गया है कि उत्तर प्रदेश वन निगम के लेखे, प्रतिवर्ष भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा परीक्षित किये जाएंगे और ऐसी लेखा परीक्षा के संवंध में उसके द्वारा उपगत कोई व्यय, निगम द्वारा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति को देय होगा।

तदनुसार उत्तर प्रदेश वन निगम (संशोधन) विधेयक, 2008 पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
सै0 मजहर अब्बास आब्दी,
प्रमुख सचिव।

No. 1723(2)/LXXIX-V-1–08-1(Ka)-21-2008

Dated Lucknow, August 29, 2008

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Van Nigam (Sanshodhan) Adhiniyam, 2008 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 24 of 2008) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on August 28, 2008..

THE UTTAR PRADESH FOREST CORPORATION (AMENDMENT) ACT, 2008

(U.P. ACT NO. 24 OF 2008)

[As passed by the Uttar Pradesh Legislature]

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh Forest Corporation Act, 1974.

IT IS HEREBY enacted in the Fifty-ninth Year of the Republic of India as follows :–

Short title

1. This Act may be called the Uttar Pradesh Forest Corporation (Amendment) Act, 2008.

Amendment of section 23 of U.P. Act no. 4 of 1975

2. (1) In section 23 of the Uttar Pradesh Forest Corporation Act, 1974 *for* sub-sections (2), (3) and (4) the following sub-sections shall be *substituted,* namely:–

"(2) The accounts of the Corporation shall be subject to audit annually by the Comptroller and Auditor General of India or any person authorised by him, and any expenditure incurred by him in connection with such audit shall be payable by the Corporation to the Comptroller and Auditor General of India or any person authorized by him.

(3) The Comptroller and Auditor General of India or any person authorized by him in connection with the audit of accounts of the Corporation shall have the same rights, privileges and authority in connection with such audit as the Comptroller and Auditor General of India has in connection with the audit of the accounts of an Organisation and, in particular, shall have right to demand the production of books, accounts, connected vouchers and other document and papers and to inspect the office of the Corporation.

(4) The accounts of the Corporation as certified by the Comptroller and Auditor General of India or any person authorized by him in that behalf together with the audit report thereof shall be forwarded annually to the State Government."

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Uttar Pradesh Forest Corporation Act, 1974 (U.P. Act no. 4 of 1975) has been enacted to provide for the establishment of a Corporation for better preservation, supervision and development of forests and better exploitation of forest produce within the State. Section 23 of the said Act provides that the accounts of the Corporation shall be subject to audit annually by the Examiner, Local Fund Accounts and any expenditure incurred by him in connection with such audit shall be payable by the Corporation to the Examiner, Local Fund Accounts with a view to ensuring better financial administration it has been decided to amend the said Act to provide that the accounts of the Uttar Pradesh Forest Corporation shall be

subject to audit annually by the Comptroller and Auditor General of India or any person authorized by him, and any expenditure incurred by him in connection with such audit shall be payable by the Corporation to the Comptroller and Auditor General of India or any person authorized by him.

The Uttar Pradesh Forest Corporation (Amendment) Bill, 2008 is introduced accordingly.

By order,
S.M.A. ABIDI,
Pramukh Sachiv.

पी० एस० यू० पी०–ए० पी० 474 राजपत्र (हि0)–(1047)–2008–597 प्रतियां–(कम्प्यूटर / टी0 / आफसेट)।
पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 105 सा० विधायी–(1048)–2008–850 प्रतियां (कम्प्यूटर / टी0 / आफसेट)।